न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र० क्र० 45/18
दायरा दिनांक 26.7.18
निर्णय दिनांक 13/12/19

बउनवान

1- हंसराज उम्र 25 वर्ष पुत्र नरसीलाल
2. महावीर उम्र 22 वर्ष पुत्र नरसीलाल
3. रामप्यारी बाई उम्र 20 वर्ष पुत्री नरसीलाल
4. ममता बाई उम्र 18 वर्ष पुत्री नरसीलाल
5 नटी बाई उम्र 58 वर्ष पत्नि स्व० नरसीलाल जातिगण बैरवा निवासीगण कागला बमोरी हाल निवासी हरि जी का निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)

-- वादीगण -

बनाम

1. धारम्या बाई पत्नी हरिवल्लभ जाति बैरवा निवासी कागला बमोरी तहसील किशनगंज जिला बारां
2 - कल्याणी बाई पत्नि बाबुलाल जाति बैरवा निवासी कागला बमोरी तहसील किशनगंज जिला बारां
3 - राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

- प्रतिवादीगण -

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व ओदेश 7 नियम 11 CPC.

निर्णय दिनांक 13.12.19

प्रार्थी / प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 10 C.P.C. व आदेश 7 नियम 11 C.P.C. पेश किया, प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया

यह कि विवादित आराजी हिस्सा ½ को वादीगण के पिता नरसिंहलाल ने इकरारनामा बेचान दिनांक 5.9.98 को बेचान कर प्रतिवादी क्रम 1 के पति हरिवल्लभ को कब्जा प्रदान दे दिया था, जिसकी अपील न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां मे विचाराधीन है।

यह कि वादीगण ने विचाराधीन अपील न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के तथ्यो को न्यायालय से छुपाया है, तथा वादीगण ने वाद सिर्फ विलम्ब से पेश किया है तथा बेचान शुदा आराजी का श्रीमान न्यायालय मे वाद लाने से वादीगण रोक है तथा वाद खारिज होने योग्य है

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के वाद खारिज करने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 C.P.C व आदेश 7 नियम 11 C.P.C की नकल वादी अधिवक्ता को तकसीम की गई। वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 C.P.C व आदेश 7 नियम 11 C.P.C पेश किया जवाब मे कथन किया

यह कि प्रार्थनापत्र की मद न0 1 अस्वीकार है और कथन है कि अप्रार्थी क्र 1 ता 4 के पिता और 5 के पति नृसिंहलाल ने विवादित आराजी का इकरारनामा बेचान दिनांक 5.9.98 निष्पादित नही कराया है और उक्त इकरारनामा बेचान के आधार पर प्रार्थीगण को वाद सिविल कोर्ट मे वाद डिक्री किया था, उसको जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां द्वारा फर्जी एवं कूटरचित मानकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

डिक्री डिमांड 22/10/2011 को अपील में निरस्त कर
दिया है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इस समय
विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन
नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद न० 2 अस्वीकार है और
कथन है कि वादीगण के पिता ने विवादित आराजी का
कभी भी इकरारनामा बैनामा निष्पादन नहीं कराया है।
इसलिये वादीगण/अप्रार्थीगण के स्टे होने का प्रश्न ही
पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र वाद
के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से पेश किया
है। जो खारिज किये जाने काबिल है।

यह कि अन्य बहुतात बकत बहस निवेदन किये जायेंगे।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7
नियम 11 CPC पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस
सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने
निवेदन किया कि द्वारा सिविल कोर्ट मे विचाराधीन
है हरिवल्लभ बनाम नरसिंह लाल के नाम से विचाराधीन
है नटीबाई, हसराज, महावीर, रामप्यारी, ममता
प्रतिवादी है, हरिवल्लभ वादी है CJM में डिक्री
हो गया। उसके खिलाफ वादी DJ कोर्ट में गये। वहां
से रिमाण्ड हो गया जो विचाराधीन है। आर्डर शीट
की कॉपी संलग्न है। 18/11/19 डेट थी। स्पेसफिक
परफारमेन्स का वाद है। जमीन यही है। वादीगण 1/2
हि० बता रहे है इसी की कार्यवाही कार्यवाही चलने
योग्य नहीं है। क्षेत्राधिकार भी नहीं है। खातेदारी
का हिस्सा अलग नहीं हो सकता जब तक CJM कोर्ट
का निर्णय नहीं हो जाता, दावा 53 के अलावा

उपखण्ड अधिकारी

183, 188 का भी है। कब्जा हमारा स्वीकार कर
है। दावे शीमद नं० 2 में कब्जा हमारा माना है
कि 5/9/98 के इकरार नामे के आधार पर ही आया
है। यदि CJM कोर्ट में डिग्री होगा तो वादी खातेदार
ही नहीं रहेगे फिर 53 RTA का दावा लाने के अधिकारी
भी नहीं रहेगा। हरिवल्लभ को पक्षकार ही नहीं बनाया
है विधि विरुद्ध है।

वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया दावे के पक्षकार और
CJM कोर्ट के प्रकरण के पक्षकार भिन्न-भिन्न है।
हरिवल्लभ इस दावे मे पक्षकार नही है। पहले व पार्टी
बनता उसके बाद वह प्रार्थना पत्र ला सकता था। CJM
कोर्ट की डिग्री को D.J. कोर्ट ने फर्जी मानकर रिमाण्ड
किया है। मेरा वाद धारा 53, 183 188 का है। मै
प्रति० क्र० 1, 2 से इकरार मांग रहा हूँ, CJM कोर्ट
के निर्णय से इस दावे पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
मै अभी भी 1/2 का खातेदार हूँ। इकरार की पालना
मे कोई बाधा नही आयेगी। इकरारनामा नरसिंह
ने 1/2 हि० का हरिवल्लभ को करवाया था।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली
मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल प्रकरण 15/2007
हरिवल्लभ बनाम नरसिंह साह CJM बांरा का
गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त
विवेचनानुसार प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7 नियम 11 CPC
स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निम्नलिखित क्रियात्मक
क्रियात्मक आदेश

(1) प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

...धिकारी
...गं (राज.)

धारा 10 CPC व आदेश 7 नियम 11 C.P.C. [illegible] किया जाता है वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 RTA खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/19 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.07 15:14:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: